



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 179 राँची, सोमवार,

18 अप्रैल, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी, 2022

संचिका सं०-03/नि०अरा०-52/16-576/रा०, --भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के अधीन निबंधन लिपिकीय सेवा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा-शर्तों के निर्धारण हेतु 'झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तों) नियमावली, 2017' में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तों) नियमावली (संशोधन), 2022' कही जायेगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) की नियम-4(ख) (i) के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
नियम-4(ख) (i) अनिवार्य योग्यता - सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ इंटरमीडियट काउंसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।	4(ख) (i) -न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परंतु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडियट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा । परंतु यह कि अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी ।

3- झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) की नियम-4(घ) के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
नियम-4(घ) चयन प्रक्रिया- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-8566, दिनांक-28.09.2015 के द्वारा गठित एवं समय-समय पर यथा संशोधित 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियट/+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015' के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकार को मेधा सूची उपलब्ध करायेगा।	4(घ)-चयन प्रक्रिया-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-3848, दिनांक-10.08.2021 द्वारा गठित एवं समय-समय पर यथा संशोधित 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2021' के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में विभाग को अनुशंसा के साथ सूची उपलब्ध करायेगा।

4. झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2017 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,
अपर मुख्य सचिव।
